भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 795

गुरुवार, 23 जुलाई, 2026/1 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हज यात्रियों के लिए अतिरिक्त भुगतान

795. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विमानन कंपनियों ने हज यात्रियों से 15 मई, 2026 तक किराये के अंतर के रूप में 10,000 रुपये के अतिरिक्त भुगतान की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त राशि की मांग मुंबई प्रस्थान बिंदु से रवाना होने वाले यात्रियों से कुछ महीने पहले प्रति यात्री 90,844 रुपये की राशि एकत्र किए जाने के बावजूद की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या विमानन ईंधन की कीमतों में कमी को देखते हुए, विमानन कंपनियों द्वारा प्रति यात्री 10,000 रुपये के अतिरिक्त भुगतान की इस मांग को वापस लिए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग) मध्य-पूर्व में संकट और परिणामस्वरूप परिचालन लागत में वृद्धि के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए, चयनित एयरलाइनों ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में वृद्धि का हवाला देते हुए तीर्थयात्रियों के हवाई किराए में प्रति तीर्थयात्री 400 अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि की माँग की गई थी। उचित विचार-विमर्श, हितधारकों के साथ परामर्श और भारत सरकार के खरीद नियमों पर विचार-विमर्श के पश्चात, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सभी एयरलाइनों और सभी एम्बार्केशन बिंदुओं पर प्रति तीर्थयात्री 100 अमेरिकी डॉलर (लगभग 10,000 रुपये) की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई थी।
